

द्वारा की - कुंभार, शक्ति उ. नं. 87/22

दिनांक

17.2.26

आज्ञा पत्र

पत्रावली पेश। अपीलाट/रिपोर्ट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलाट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुभार होकर नखर से कम होकर वाद तरजीव तकभील दाखिल दफतर हो।

कुंभार अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर